

संख्या:- प्राथमिक/परिषद सन्वदता/2021/3537

:कार्यालय भाग:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारमर्सी काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राथमिक शिक्षा परिषद, 30 प्रो लखनऊ से सन्वदता/सन्वदता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सन्वदता सश्रित की बैठक संयोजन हुई। बैठक में सश्रित द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सन्वदता/ पूर्व से संयोजित संस्थाओं को सन्वदता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रदेश क्षमता वृद्धि सश्रित अन्य मतां पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सन्वदता/ सन्वदता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सन्वदता सश्रित की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 30 प्रो लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सन्वदता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2773-AZAD INSTITUTE OF PHARMACY, AZADPURAM , LUCKNOW

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/ पी0सी0आइ0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सन्वदता हेतु शर्तें

✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आइ0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्धारित विनियमों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण सश्रित द्वारा निर्धारित शुल्क: तीन वार्षिक इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी ए0आइ0सी0 टी0ई0 पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रिका को भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्रिकाओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्राप्त होंगे।

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या: प्राथि/परिषद/सम्बद्धता/2019/1127

लखनऊ दिनांक: 15-5-2019

:-कार्यालय द्वारा:-

अतिरिक्त भारतीय नवनीयता शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय नवनीयता शिक्षण संस्थाओं का अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आयोजित नए संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/परिवर्तन/प्रवेश अगला सूची, अर्थात् सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुसरण में सम्बद्धता समिति की बैठक को सं. 3 में डिप्लोमा इन एजुकेशन कादम्बिका लखनऊ को सौंपी गई संख्या का प्रकाशन संचालित। सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय नवनीयता शिक्षण संस्थाओं का निर्णय लिया गया।

एओआईसीटीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा कार्नेसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं का डिप्लोमा इन एजुकेशन में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संरक्षित सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीओआईओ अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही की जाएगी।

उक्त विनियमनानुसार संबंधित सूचना को परिषद की निर्वाचन समिति एवं विभाग-विशेषज्ञ द्वारा को सौंपी संरक्षित तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु किर्नाकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उससे अंकित प्रवेश अगला हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एओआईसीटीआईओ/पिओआईओ द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित संस्था	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित संस्था
1	2773	अखिल इन्टरनेशनल कार्नेसी एजुकेशनल संस्था।	डिप्लोमा इन एजुकेशन	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एओआईसीटीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमनानुसार 1982 तथा 2002 निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा सुलभ किर्नाकित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन स्तरीय इन्टरनेशनल पाठ्यक्रम हेतु रु. 30,150.00/- अर्थात् दो स्तरीय कार्नेसी पाठ्यक्रम हेतु रु. 43,000.00/- अर्थात् एवं एक स्तरीय कार्नेसी पाठ्यक्रम (एच.सी.ई.सी. पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु. 82,300.00 अर्थात् सुलभ की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से सुलभ के सम्बन्ध में समय-समय पर संचालित द्वारा निर्गत किये जाने वाले सार्वजनिक सभाओं में सुलभ को कार्यवाही किया जाय। अतिरिक्त समिति द्वारा किये गये सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा इन एजुकेशन का निर्णय लिया गया है, जो धीरे धीरे बदलता रहे सक्त रहेगी।

